जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 05.03.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने लूट की घटना कारित करने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.02.2025 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र श्री किशोरी सिंह निवासी ग्राम कनकपुर कलां थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि वादी अपनी पत्नी व बेटे के साथ जब अपनी ससुराल जा रहा था तो रास्ते में जंगल ग्राम अब्दीपुर के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को रुकवा लिया तथा तमंचे से डरा धमका कर वादी का मोबाइल फोन, नगदी व वादी की पत्नी से आभूषण छीन कर भाग गये। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 27/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में 1-मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर अंगाखेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2-विनोद उर्फ काना पुत्र बलराम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3-रोहित पुत्र धनीराम निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

दिनांक 20.02.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित पुत्र धनीराम निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को लूटे गये मोबाइल फोन व नगदी सहित गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दिनांक 22.02.2025 को थाना मण्डावर पुलिस ने पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला उपरोक्त को अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.03.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगीना देहात का हिस्ट्रीशीटर अपराधी विनोद उर्फ काना पुत्र बलराम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर जिसने कुछ दिन पहले अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना नगीना देहात क्षेत्र में

दम्पति से लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज थाना नगीना देहात क्षेत्र में कोई घटना कारित करने के लिये परमावाला की तरफ से नहर पटरी के रास्ते टांडामाईदास की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मध्यपूर्वी गंगनहर (नीला डैम) पर पहुंचकर चेकिंग प्रारंभ की गयी तथा परमावाला की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को रोकने की कोशिश की गयी तो उक्त व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया जो आरक्षी सोहनवीर के बाँए हाथ से छूकर गया तभी पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम विनोद उर्फ काना पुत्र बलराम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर बताया तथा इसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 जोडी टॉपस कानो के पीली धातु, 01 मोटरसाइकिल होडा साईन नं0 UP20AP-1306 बरामद हुई है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विनोद उर्फ काना उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी नगीना जनपद बिजनौर में भर्ती किया गया है। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है तथा आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 09.02.2025 को उसने अपने साथी मनोज उर्फ नेवला व रोहित के साथ मिलकर थाना नगीना देहात क्षेत्र में एक दम्पति के साथ लूट की घटना की थी तथा इससे पूर्व करीब 06 माह पहले भी उसने ग्राम श्यामपुर से घर में सो रही एक महिला के कानो से कुंडल छीन कर भाग गया था। इस संबंध में पूर्व से ही थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 169/24 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत है।

नोट – अभियुक्त विनोद उर्फ काना थाना नगीना देहात का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के थाना नगीना देहात/नजीबाबाद पर दुष्कर्म जैसे गंभीर/अन्य धाराओं में करीब एक दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विनोद उर्फ काना पुत्र बलराम निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात बिजनौर **(हिस्ट्रीशीट नम्बर- 24A)**

बरामदगी का विवरण –

1. 01 मोटर साईकिल होंडा साईन रजि0नं0- UP20AP1306
2. 01 जोडी कानो के टॉपस पीली धातु। **(संबंधित मु0अ0सं0 169/24 धारा 304 बीएनएस)**
3. 01 तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त विनोद उर्फ काना का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 259ए/10 धारा 452,323,504 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 132/12 धारा 324 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 130/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नगीना देहात बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 129/17 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात बिजनौर।
5.मु0अ0सं0 280/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात बिजनौर।
6.मु0अ0सं0 124/18 धारा 363,376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर।

7.मु0अ0सं0 60/20 धारा 323,504,506 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।

8.मु0अ0सं0 243/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात बिजनौर।

9.मु0अ0सं0 249/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात बिजनौर।

10.मु0अ0सं0 289/20 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।

11.मु0अ0सं0 361/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर।

12.मु0अ0सं0 362/21 धारा 10 उ0प्र0 गुंडा अधि0 थाना नगीना देहात बिजनौर।

13.मु0अ0सं0 225/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर ।

14.मु0अ0सं0 169/24 धारा 304 बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

15.मु0अ0सं0 27/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 ललित कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

5.मुख्य आरक्षी रविन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

6.मुख्य आरक्षी सुभाषचन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

7.आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

8.आरक्षी सोहनवीर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

9.आरक्षी अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 05.03.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मात्र 59 दिवस में संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर (FIR पंजीकरण से TRIAL तक) माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित किया गया, जो जनपद बिजनौर की पॉक्सो के साथ बीएनएस के तहत पहली सजा है।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त मुख्तार के द्वारा अपनी दुकान पर वादिया के बेटी के साथ छेडछाड की घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 09/25 धारा 76 बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप **59 दिन में** आज दिनांक 05.03.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 09/2025 धारा 76 बीएनएस व 10 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मुख्तार पुत्र सईदुद्दीन निवासी मौ0 रमपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोटः- उपरोक्त सजा के संबंध में अवगत कराना है कि पॉक्सो के साथ नये कानून BNS के तहत जनपद बिजनौर की पहली सजा है, जिसमें 59 दिवस में संपूर्ण कार्यवाही (FIR पंजीकृत होने से Trial तक) का संपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुये अभियुक्त को सजा दिलाई गयी है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- मुख्तार पुत्र सईदुद्दीन निवासी मौ0 रमपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 05.03.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी 05 अभियुक्तो को 10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.08.2006 को वादी ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1.सुभाषचन्द, 2.राजवीर, 3.गोविन्द सिंह पुत्रगण ज्वाला सिंह, 4.विक्रम सिंह पुत्र नत्थू सिंह व 5.नत्थु सिंह पुत्र सावनिया समस्त निवासीगण ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर लाठी-डन्डो व लोहे की मूसली आदि से वादी व वादी के परिजनो के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई जिससे वादी के परिवारीजन टोनी की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 529/2006 धारा 147/148/149/304/323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

कार्यवाही –

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज 05.03.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 -03 जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 529/2006 धारा 147,148,304,323/149,324/149,325,506 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.सुभाषचन्द, 2.राजवीर, 3.गोविन्द सिंह पुत्रगण ज्वाला सिंह, 4.विक्रम सिंह पुत्र नत्थू सिंह व 5.नत्थु सिंह पुत्र सावनिया समस्त निवासीगण ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 10-10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को ₹ 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सुभाषचन्द पुत्र ज्वाला सिंह निवासी ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2.राजवीर पुत्र ज्वाला सिंह निवासी ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3.गोविन्द सिंह पुत्र ज्वाला सिंह निवासी ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
4. विक्रम सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
5.नत्थु सिंह पुत्र सावनिया निवासी ग्राम ककराला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चादंपुर **दिनांक 05.03.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 101/25 धारा 85/351(3)/80(2)बीएनएस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.02.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को उसके ससुरालजनों 1- विवेक (पति) पुत्र देवेन्द्र 2- देवेन्द्र (ससुर) पुत्र देवी दीन 3- नीतू (सास) पत्नि देवेन्द्र समस्त नि0गण ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दहेज के लिए 01 लाख रुपए व बुलेट मोटर साईकिल की मांग कर प्रताड़ित करते थे व जान से मारने की धमकी देते थे तथा दिनांक 19.02.2025 को वादी की पुत्री को फांसी लगाकर जान से मार दिया । इस संबंध में थाना चादंपुर पर मु0अ0सं0 101/2025 धारा 85/351(3)/80(2) बीएनएसव 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना चादंपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र देव दीन निवासी ग्राम रसूलपुर नगला थाना चांदपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त विवेक को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

देवेन्द्र पुत्र देव दीन निवासी ग्राम रसूलपुर नगला थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सन्दीप पवांर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।